उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-78/1879/एक-1-2015-15(1)/1998-19 टी0सी0-3

लखनऊ: दिनॉक: 18 दिसम्बर, 2015

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-1 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 18 दिसम्बर, 2015 को ऐसे दिनॉक के रूप में नियत करते हैं जिस पर उक्त अधिनियम की धारायें 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 233 और 234 प्रवृत्त होंगी तथा 11 फरवरी, 2016 को ऐसे दिनॉक के रूप में नियत करते हैं जिस पर उक्त अधिनियम के शेष उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in